राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.18(25)नविवि/सामान्य/2014 जयपुर, दिनांक :- 24 JUN 2020

आदेश

राजस्थान भवन विनियम–2013/प्रचलित भवन विनियमो हेतु निर्देशों बावत जारी विभागीय पत्र दिनांक 27.06.2017 के बिन्दु संख्या 4 को विलोपित करते हुए The Building and Other construction workers' Welfare Cess Rules, 1998 के प्रावधानों के अनुरूप निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है:–

"भवन मानचित्र अनुमोदन के प्रकरणों में संबंधित नगरीय निकाय भवन एवं सन्निर्माण कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत लेबर सेंस हेतु उपकर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न कराया जाना सुनिश्चित करावें तदुपरान्त ही अनुमोदित भवन मानचित्र निकाय स्तर से जारी किये जावें तथा यह डिमाण्ड ड्राफ्ट की राशि भी बोर्ड फण्ड में हस्तानान्तरित किया जाना सुनिश्चत करावें।

परन्तु यदि ऐसे निर्माण कार्य के पूर्ण होने की अनुमानित अवधि एक वर्ष से अधिक है तो आवेदन पत्र के साथ पहले वर्ष में पूर्ण किये जाने वाले अनुमानित निर्माण की लागत के आधार पर श्रम उपकर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट प्राप्त किया जावे तथा शेष श्रम उपकर राशि एक वर्ष के उपरान्त उस अवधि तक जब तक निर्माण कार्य पूर्ण नही हो जाता तब तक प्रतिवर्ष किये जाने वाले निर्माण कार्य के आंकलन के आधार पर प्रतिवर्ष आवेदक से श्रम उपकर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट प्राप्त किया जाकर बोर्ड फण्ड में हस्तानान्तरित किया जाना सुनिश्चित करावें।"

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamScanner

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
8. सचिव,जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
9. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
10. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
11. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
12. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

Kindly upload on the website

IT programmer, 2/7

Scanned with CamScanner